E-MAIL

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/ प.2/1/2/रातस/2016-17/ 3317-350 दिनांकः 03-04-19

जिला कलक्टर
(समस्त)

विषयः- मौलिक पदोन्नत भू-अभिलेख निरीक्षकों की एसीआर मण्डल में भिजवाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर मौलिक पदोन्नति हेतु वर्ष 2016-17 से आगामी वर्षो की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना शेष है, जो निरीक्षक संवर्ग की वरिष्ठता निर्धारण आदि के संबंध में मा. न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पारित स्थगन आदेश वेकेट होने अथवा प्रकरण निर्णित होने पर बकाया विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया जाना होगा ।

प्रायः पाया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के समय पात्र कार्मिकों के पदोन्नति हेतु जिला कार्यालयों द्वारा प्रेषित अपूर्ण वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदनों के कारण अत्यधिक संख्या में पदोन्नति के प्रकरण डेफर्ड हो जाते हैं, जिससे संबंधित कार्मिक को यथासमय पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता है ।

अतः उपरोक्त क्रम में आपके जिले में जिन भू-अभिलेख निरीक्षकों को डीपीसी वर्ष 2012-13 अथवा इससे पूर्व के वर्षो में मौलिक पदोन्नति दी गई है, उन वर्तमान में कार्यरत भू-अभिलेख निरीक्षकों के वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण करवाकर अतिरिक्त निबन्धक (गोपनीय) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाने की व्यवस्था करावें।

भवदीय,

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज., अजमेर